आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–एन0एफ0एल0/वी0सी0/09/12–13

दिनांकः– 4·7·2020

पूर्णता प्रमाण–पत्र

लोहामण्डी वार्ड में स्थित खसरा संख्या–771, 774, 776 मौजा ककरैठा आगरा पर निर्मित ग्रुप–हाउस भवन के सम्बन्ध में दिये गये पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स,) का परीक्षण मुख्य नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता(भवन)/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–एन0एफ0एल0/वी0सी0/09/12–13 दिनांक 11.02.14 व शमन मानचित्र संख्या– 2548/डी/अ0नि0/2019 दिनांक 23.12.19 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.06.20 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता है। संरचनात्मक गुणवत्ता आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

शर्तेः–

1. शमन मानचित्र में दर्शित निर्माण के अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण नही किया जायेगा।
2. भवन का उपयोग स्वीकृति के अनुसार केवल आवासीय ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत/शमन मानचित्र में अंकित शर्तो का अनुपालन करना होगा।
4. शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. रेजीडेन्ट वैलफेयर सोसायटी का गठन कर उनको सभी सुविधाए सन्तोषजनक संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करानी होगी।

4/7/2020

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।